Dummy issue Vichar prikarama page 1-19.qxd 7/27/2010 9:28 PM Page 26

भ्रष्टाचार के खिलाफ कब होगी जंग

■ नीरज कुमार तिवारी

न्यायमूर्ति एनएन ढींगरा की टिप्पणी से शायद ही किसी नागरिक को ऐतराज हो क्योंकि भ्रष्टाचार के राक्षस से हर दिन सबका सामना होता है। यह टिप्पणी एक राष्ट्रीय बैंक के अधिकारी गोपाल कृष्ण की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई। अधिकारी के खिलाफ शिकायत थी कि उसने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत दो लाख रुपए ऋण के लिए एक युवती द्वारा किए गए आवेदन को लटकाए रखा और फिर बीस हजार रूपए घूस मांगे।

वैश्विक तौर पर हम भले कामयाबी हासिल कर रहे हों लेकिन ईमानदारी एक ऐसा मोर्चा है जहां हम बुरी तरह फेल रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले जारी ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हमें 82वें स्थान पर रखा गया था। इस सूची पर गौर करने से साफ है कि अधिकांश विकसित, लोकतांत्रिक और प्रमुख विकासशील देशों की स्थिति हमसे बेहतर है। ट्रांसपरेसी इंटरनेशलन की रिपोर्ट में पुलिस और राजनीति ही नहीं बल्कि लोअर जूडिशयरी को भी लपेटे में लिया गया है जबकि जनहित के मुद्दे और कल्याणकारी योजनाओं की सफलता के लिए इन तीनों इकाइयों की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिका मायने रखती है। ऐसे में क्या वाकई हमारा संतुलित विकास संभव है?

क्या यह संभव है कि भ्रष्टाचार के रहते दिल्ली में बनी नीतियां गांवों तक सही तरीके एवं पूरे असर के साथ पहुंच पाएंगी? यकीनन इसका जवाब नहीं हैं किंतु बैड गवर्नेंस की आलोचना से शासन में बैठे अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंताजनक तौर पर देश में भ्रष्टाचार की आलोचना दिनोदिन रस्म अदायगी की बात बनती जा रही है।

> **वैश्विक तौर पर हम भले कामयाबी हासिल कर रहे हों लेकिन ईमानदारी एक ऐसा मोर्चा है जहां हम बुरी तरह फेल रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले जारी ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हमें 82वें स्थान पर रखा गया था। इस सूची पर गौर करने से साफ है कि अधिकांश विकसित, लोकतांत्रिक और प्रमुख विकासशील देशों की स्थिति हमसे बेहतर है**

हमारी लोकतांत्रिक सरकारों ने कभी भी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं की। मीडिया और सामाजिक संगठनों के प्रयासों के बाद सरकार ने जो कदम उठाए भी, उसे बाद में दरकिनार कर दिया गया। उदाहरण के लिए सूचना अधिकार कानून लोकतांत्रिक इकाइयों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया था। अब तक के अनुभव बताते हैं कि इस कानून का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। बाधा कोई और नहीं बल्कि लोकतांत्रित इकाइयां ही खड़ी कर रही है।

इस कानून के तहत दी जा रही कई सूचनाएं भ्रामक और अपूर्ण पाई गई हैं। गलत सूचनाएं देने वाले अधिकारियों को दंडित करने की व्यवस्था इतनी लचर है कि कोई भी इसमें उलझना नहीं चाहता। सरकार द्वारा गलत दावे का मामला भी भ्रष्टाचार फलने-फूलने में मदद करता है। चार साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में कहा था कि राज्य सरकारें रोजगार सृजन के त्रुटिपूर्ण दावे कर रही हैं। उन्होंने ऐसे दावे के परिणाम को विनाशकारी बताते हुए ई गवर्नेंस की बात की।

दरअसल, गलत दावे का एकमात्र कारण भ्रष्टाचार ही है। इसके रहते जनता के कल्याण की योजनाएं कागजों पर ही

Dummy issue Vichar prikarama page 1-19.qxd 7/27/2010 9:28 PM Page 27

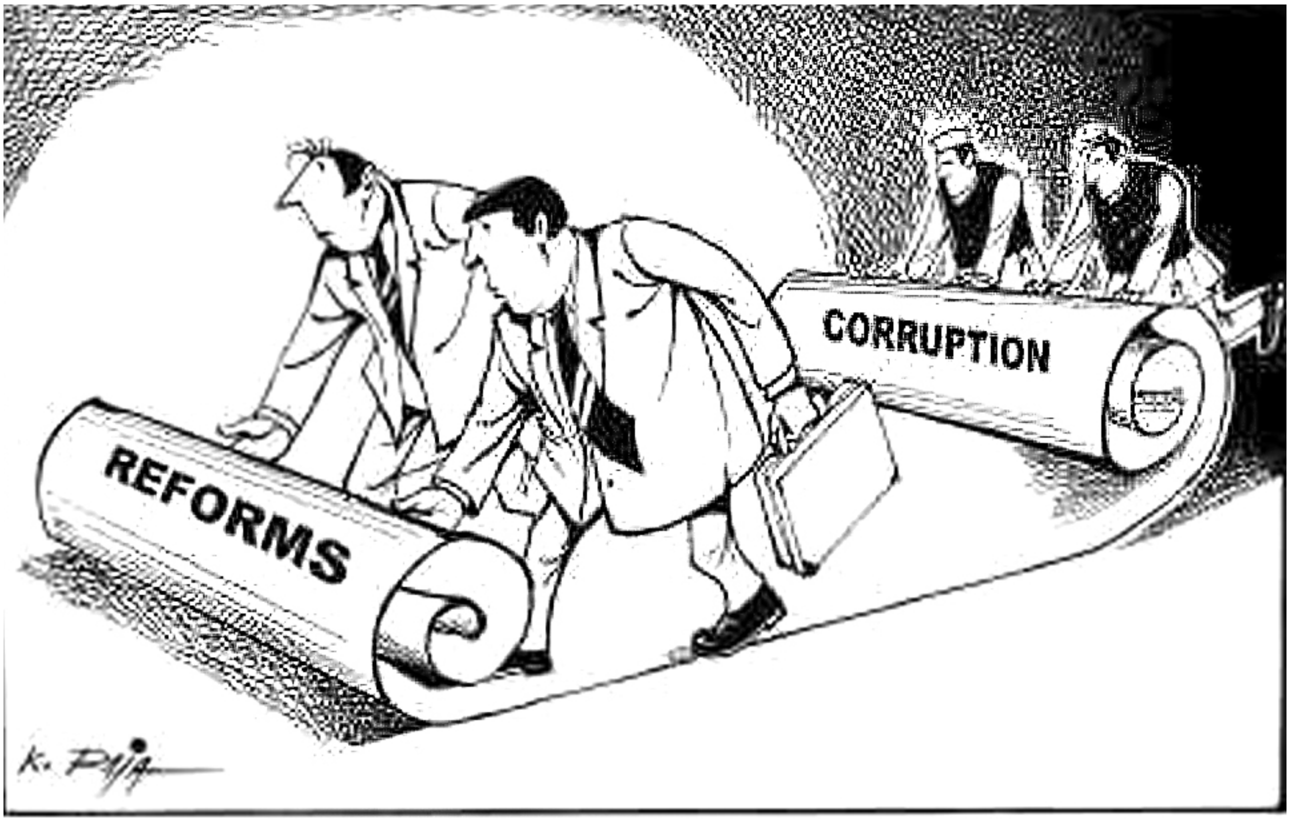

No cash? No problem - I take credit cards!

रह जाने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोई एजेंसी हमारे पास नहीं है, किंतु शासक वर्ग में मौजूद लोग ही नहीं चाहते कि ऐसा हो। मुख्य निगरानी आयुक्त सरकार अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने लाते रहे हैं लेकिन अपवादों को छोड़ कभी कार्रवाई नहीं की जाती। संयुक्त सचिव या उससे ऊपरी स्तर के अधिकारियों या किसी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई से पहले तो मंत्रियों या ऊपरी अधिकारियों की अनुमति लेनी जरूरी है,

हमारी लोकतांत्रिक सरकारों ने कभी भी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं की। मीडिया और सामाजिक संगठनों के प्रयासों के बाद सरकार ने जो कदम उठाए भी, उसे बाद में दरकिनार कर दिया गया

जो शायद ही मिलती हो।

न्याय में देरी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की शिकायत है कि हमारे सुधार पर सरकारें कुंडली मार कर बैठी हैं। इतना ही नहीं, अब तक हमारे पास कोई ऐस पुख्ता कानून नहीं है जिसके तहत हम भ्रष्टाचार के संदिग्ध आरोपियों के प्रत्यार्पण की मांग कर सकें। कानून के अभाव में हम विदेशों में गुप्त रूप से जमा निजी या सार्वजनिक धन को जब्त करने या काले धन को सफेद करने के स्रोतों की जांच करने की मांग किसी दूसरे देश से नहीं कर सकते। करीब तीन वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक सम्मेलन में भारत ने भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों को राष्ट्रीय कानून का दर्जा देने पर सहमति जताई थी इस संबंध में अब तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।

दरअसल भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जिस दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत होती है, वह हमारी सरकार या संसदीय दलों के पास नहीं है। यही कारण है कि करप्ट पब्लिक सर्वेंट बिल लंबित पड़ा है। यह बिल शायद तभी सामने आएगा जब जनता भ्रष्टाचार को वोट देने का मुद्दा बनाएगी लेकिन अफसोस ऐसा अभी भी दूर की कौड़ी दिख रही है। ♦